


# महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में लकड़ी, लौहा का स्कैब व एल्युमिनियम के पाईप को नीलाम किया जाना है जिनका ब्यौरा व नीलामी की शर्तें आदि कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस या विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.mdurohtak.ac.in](http://www.mdurohtak.ac.in) पर देखी जा सकती हैं। इच्छुक खरीददार अपनी बोली मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में दिनांक 20.10.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवा दें।



कार्यकारी अभियन्ता,  
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक


## महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

### लकडी, लौहा का स्कैब व एल्युमिनियम के पाईप नीलामी सम्बन्धी शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपयें 5,000/- (पाँच हजार रूपये) अग्रिम राशि वित्त अधिकारी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 20.10.2015 को 12 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। ये मुहरबन्द निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी।
2. अग्रिम राशि सिवाए उस व्यक्ति की जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार कर ली जाती हैं, तुरन्त वापिस लौटा दी जायेगी।
3. कोटेशन में प्रत्येक सामान जैसे लकडी, लौहा का स्कैब व एल्युमिनियम के पाईप आदि का प्रति किलोग्राम रेट अलग- अलग भरना होगा।
4. सामान मोल लेने वाले को सामान उठवाने का कार्य अपने खर्च पर करना होगा।
5. निविदा स्वीकृत होने एवं उसकी लिखित सूचना मिलने के 03 दिनों के अन्दर-2 सामान उठाने का कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है तो वह निविदा रद्द समझी जायेगी व जमा की गई अग्रिम राशी जब्त कर ली जाएगी।
6. सामान उठा कर विश्वविद्यालय प्रांगण से बाहर ले जाने का सारा तमाम कार्य निविदा स्वीकृति के दस दिन की अवधि में पूरा करना होगा। किसी कारण वंश यह कार्य उस समय अवधि में पूरा नहीं होता तो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के सक्षम अधिकारी से उचित कारण के आधार पर स्वीकृति लेकर ही समय अवधि बढ़ायी जा सकती है।
7. नीलामी से सम्बन्धित विवाद के मामले में कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक का निर्णय/फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. स्कैब व एल्युमिनियम पाईप "जैसे हैं और जहाँ हैं" के आधार पर ही उठवाना होगा।
9. जिस निविदाकार के पक्ष में निविदा छोड़ी जाती है उसे सम्पूर्ण राशि रूपये उद्धृत (quoted) राशी उसी समय जमा करवानी होगी।
10. अगर कोई व्यक्ति स्कैब व एल्युमिनियम पाईप का निरीक्षण करना चाहे तो वह उपमण्डल अधिकारी(C-III), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्पर्क करके कर सकता है।
11. सामान उठवाने का कार्य प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक ही किया जाएगा।

जारी पृष्ठ 2 पर...

12. मजदूर विश्वविद्यालय परिसर में सांय 5.00 बजे के बाद नहीं उहरेगे और प्रातः 8.00 बजे से पहले परिसर में प्रवेश नहीं करेगें।
13. यदि निविदाकर्ता कोई अनुचित कार्य करता हुआ पाया गया तो उस पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के आदेशानुसार होगा।
14. निविदाकर्ता यदि उल्लेख स्कैब व एल्युमिनियम पाईप के साथ अन्य समान उठाता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कानून के तहत केस दर्ज कराने के साथ-साथ निविदा को भी तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा उसका सारा सामान और जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
15. यदि निविदाकर्ता अथवा कोई मजदूर इस निविदा की सारी प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय की किसी सम्पति को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी पूर्ण भरपाई जो कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक महोदय उचित समझे निविदाकर्ता को करनी होगी।
16. किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।
17. यदि कोटेशन लेने के दिन अवकाश होता है तो कोटेशन अगले कार्य दिवस पर ली और खोली जायेगी।
18. कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को यह अधिकार होगा की वह बिना कोई कारण बताए कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार तथा शर्तों में बदलाव कर सकता है।
19. अन्य शर्तें यदि कोई होगी तो उसकी घोषणा बोली के समय मौकें पर कर दी जाएगी।




कार्यकारी अभियन्ता,  
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

Endst. No. EE/2015 / 5275-5309

Dated: 08.10.2015

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Superintending Engineer, PWD B&R Circles, Rohtak
2. Technical Advisor to VC, MDU, Rohtak
3. Executive Engineer(C-II), MDU, Rohtak
4. Executive Engineer, PWD B&R (Medical College), Rohtak / KUK / HAU. Hisar / GJU, Hisar / CDLU, Sirsa / BPS Women University, Khanpur/ DBSCRU, Murthal
5. P.A. to Vice-Chancellor (for kind information of the worthy Vice-Chancellor), M. D. University, Rohtak
6. P.A. to Registrar (for kind information of the Registrar), MDU, Rohtak
7. Divisional Accountant/DM, Engg. Cell, MDU, Rohtak
8. SDE(C-I, II, III) / SDE (Elect.) / SDE (PH) / SDE (Horti.-I, II), MDU, Rohtak
9. Notice Board
10. Contractor/Agency/Society: \_\_\_\_\_

  
Executive Engineer